प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 37/2023 दिनांक 14/02/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018धाराऐं..... 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम.....धाराऐं .....

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन :– सोमवार दिनांक :– 13.02.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 07.02.2023 समय :– 10.00 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 249 समय 6:00pm

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 45 कि0मी0 बजानिब उत्तर–पूर्व दिशा बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत, करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ राज0
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री शम्भूदयाल
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री देवीलाल जाति मेहर
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 38 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– अम्बाला ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री लेखराज नागर जाति धाकड़ उम्र 39 वर्ष निवासी चापाखुर रोड़ सारोला कलां हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 3000 रूपये .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 07.02.2023 समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री देवीलाल जाति मेहर उम्र 38 वर्ष निवासी अम्बाला ग्राम पंचायत करनवास जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही

होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसकी मां श्रीमती कल्याणी बाई के नाम पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान बनाने के लिए 1,20,000रूपये की राशि स्वीकृत हुई है जिसकी प्रथम किश्त 15,000रूपये व द्वितीय किश्त 45,000रूपये हमें पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। अब तीसरी किश्त 60,000रूपये आना शेष है। हमारा मकान कम्पलिट होने पर हमने उसके फोटो व फॉर्म जमा करवा दिये है। उसके बाद में ग्राम पंचायत करनवास में हमारी बकायी किश्त के बारे में जानकारी लेने ग्राम पंचायत करनवास गया तो वहां पर श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक ने कहां कि तुम 5000रूपये दोगें तभी मैं तुम्हारे मकान की जीरो टेकिंग कर तुम्हारे फॉर्म को कम्पलीट करके खानपुर पंचायत समिति में जमा करवाउंगा। जब तक तुम मुझे 5000रूपये नहीं दोगें तब तक तुम्हारे खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त 60,000रूपये जमा नहीं होगी। श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक हमें बार–बार चक्कर लगवा रहा है। उसने दबाव बनाकर 2,000रूपये मुझसे पूर्व में ही प्राप्त कर लिये है। अब शेष 3,000रूपये लेने के लिए दबाव बना रहा है तथा कह रहा है कि तुम मुझे जब तक शेष 3,000रूपये नहीं दोगें तब तक तुम्हारी तीसरी किश्त तुम्हारे खाते में नहीं आयेगी। हम हमारे जायज काम के लिए श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक को 3000रूपये रिश्वत राशि के रूप में नहीं देना चाहता हूं तथा उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है तथा रूपये पैसों का कोई उधार व लेनदेन बकाया नहीं है। मेरी मां श्रीमती कल्याणी बाई ने मुझे कार्यवाही कराने के लिए बोल रखा है तथा उनके द्वारा ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु अधिकृत करने पर ही ब्यूरो कार्यालय में आकर रिपोर्ट पेश करना परिवादी ने बताया है। परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् रमेशचन्द्र आर्य पुलिस निरीक्षक को अपने चैम्बर में बुलवाया। परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से परिचय करवाया तथा उसके द्वारा मेरे समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अंकन कर सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 10:15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री देवीलाल जाति मेहर उम्र 38 वर्ष निवासी अम्बाला ग्राम पंचायत करनवास जिला झालावाड़ (राज0) द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से दरियाफ्त दरियाफ्त की गयी। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बंध में परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के पास ग्राम पंचायत भवन करनवास में भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु समय 10:30 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को चालू व बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के बारे में जानकारी करने के पश्चात् ग्राम पंचायत भवन करनवास पर ही मौजूद होना ज्ञात होने पर ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से ग्राम पंचायत भवन करनवास के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 05:00 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री शम्भूदयाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व श्री देवदान सिंह जी दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों पर बैठकर ग्राम पंचायत भवन करनवास से कुछ दूरी पर रूके। मैंने श्री देवदान सिंह को वहां पर ही मेरे वापिस आने तक इंतजार करने के लिए कहा तथा उसके बाद मैं अकेला ही अपनी मोटरसाईकिल से ग्राम पंचायत भवन करनवास पहुंचा। श्री देवदान सिंह जी ग्राम पंचायत भवन के बाहर ही खड़े थे। ग्राम पंचायत भवन में प्रवेश से पहले मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक जी उनके कार्यालय में मौजूद थे। मैंने अपने काम के सम्बंध में उनसे बातचीत कर पैसों के बारे में बात की तथा बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द करने के बाद मैं श्री देवदान सिंह जी के पास आया तथा उनको सारी बात बतायी। इस पर श्री देवदान सिंह जी द्वारा वाईस रिकॉर्डर सुनकर हालात जरिये मोबाईल आपको बताये वार्ता में स्पष्ट मांग नहीं होने पर आपने पुनः स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए कहा। इस पर मैं पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के पास पहुंचा तथा हमारे काम के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता की तो उन्होने कहा कि 3,000रूपये श्री महावीर को दे देना तुम्हारा काम हो जायेगा। इस पर मैंने श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक को एक दो दिन में पैसों का इंतजाम होने पर देने के लिए कहकर वहां से रवाना होकर बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द करने के बाद मैं श्री देवदान सिंह जी के पास आया तथा उनको सारी बात बतायी। उसके बाद मैं व श्री देवदान सिंह जी ग्राम पंचायत करनवास से रवाना होकर आपके पास आ गये है। परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर द्वारा बताये गये कथनों की निगरानी हेतु भेजे गये

श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा भी परिवादी के कथनों की पुष्टि की गयी। परिवादी श्री शम्भूदयाल द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा भी चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 26 को सुपुर्द किया जाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को कल दिनांक 08.02.2023 को प्रातः 09.00 बजे तक ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि के 3000रूपये की व्यवस्था कर ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु उपस्थित आने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। चूंकि दिनांक 08.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना होने से दिनांक 08.02.2023 को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ के नाम पत्रांक 139 दिनांक 07.02.2023 जारी कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 को देकर कल दिनांक 08.02.2023 को प्रातः 09:00 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया। श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ से दो स्वतंत्र गवाह को कल दिनांक 08.02.2023 समय 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाकर हाजिर आया। दिनांक 08.02.2023 को समय 09.00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर पुत्र श्री घांसीलाल राठौर जाति तेली उम्र 27 वर्ष निवासी शिव मंदिर के पास नवलपुरा मोहल्ला सुनेल जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड– प्रथम, झालावाड़ मो0 नं0 9829362733 व श्री सचिन कुमार प्रजापत पुत्र श्री रतनलाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन सीटी जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–कोलाना एयरपोर्ट, झालावाड़ मो0नं0 9667406066 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। समय 09:10 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 3000रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक आज ग्राम पंचायत कार्यालय में ही रहेगा तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इस पर परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर कनिष्ठ अभियंता व श्री सचिन कुमार कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर का दिनांक 07.02.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 09:30 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर व श्री सचिन कुमार की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 07.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम, को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10:30 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर व श्री सचिन कुमार की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 07.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय, को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:40 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर व

श्री सचिन कुमार के समक्ष अपने पास से 3000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 06 नोट भारतीय मुद्रा के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 3000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री सुनील राठौर से परिवादी श्री शम्भूदयाल की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री शम्भूदयाल की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री सुनील राठौर व श्री सचिन कुमार एवं परिवादी श्री शम्भूदयाल को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12:30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर व श्री सचिन कुमार तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब करनवास की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री शम्भूदयाल को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 01:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से करनवास ग्राम पंचायत से कुछ दूरी पर साईड में रूका परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि देने व उससे पूर्व उसके पास रखी सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने की पुनः समझाईश कर आरोपी के पास ग्राम पंचायत भवन करनवास के लिए रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को निगरानी हेतु पैदल–पैदल रवाना किया। सरकारी वाहन को वहीं साईड में खड़ा

करवाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व अन्य जाब्ते के प्राईवेट वाहन से ग्राम पंचायत भवन के नजदीक पहुंचा व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में वाहन में ही मुकीम रहा। समय 02:10 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर बिना कोई ईशारे किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं ग्राम पंचायत भवन में गया तो श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक वहां पर उपस्थित नहीं था। मैंने स्टाफ के अन्य कर्मचारियों से इस बाबत् जानकारी की तो उन्होने बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार आज सुबह से ही कार्यालय में नही आये है और ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी है। इस पर परिवादी को अपनी मोटर साईकिल से हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व सरकारी गवाहान के प्राईवेट वाहन से रवाना होकर गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा आरोपी के राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास में आने की प्रतीक्षा में मुकीम रहा। समय 04:00 पीएम पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से गोपनीय स्थान से आरोपी के पास राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के लिए रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को निगरानी हेतु पैदल–पैदल रवाना किया। सरकारी वाहन को वहीं साईड में खड़ा रहने दिया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व जाब्ते के प्राईवेट वाहन से राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के नजदीक पहुंचा व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में वाहन में ही मुकीम रहा। समय 04:20 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर बिना कोई ईशारे किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास में गया तो श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक अभी तक भी कार्यालय में नहीं आये है। जानकारी करने पर किसी से कोई मालूमात नहीं हो सकी। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स से एक सफेद लिफाफा निकलवाया व ट्रेप राशि 3000रूपये को परिवादी से ही लिफाफे में रखवाकर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 को लिफाफा सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स में रखवाया तथा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को समझाईश की गयी कि कल वह आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार की जानकारी करवाकर उसके राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास में उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करें। परिवादी को अब तक की गई कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईश कर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के साथ लाये सरकारी/प्राईवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 06:10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के अपने–अपने वाहन सरकारी/प्राईवेट से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर कल दिनांक 09.02.2023 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 09.02.2023 को समय 09:00 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर कनिष्ठ अभियंता व श्री सचिन कुमार प्रजापत कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10:00 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर ने श्री देवदान सिंह कानि0 के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार उसके कार्यालय में आ गया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी सरकारी व प्राईवेट वाहन में रखवाये तथा मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर व श्री सचिन कुमार तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब करनवास की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 11:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ग्राम करनवास के नजदीक रोड़ के साईड में रूका परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर अपनी मोटरसाईकिल से इंतजार करता हुआ मिला। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी हुई रिश्वत राशि 3000रूपये का लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया। श्री छोटूलाल चालक कानि0 को निर्देश देकर लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 3000रूपये निकलवाकर परिवादी की पेंट की दाहिनी साईड की सामने वाली जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को पुनः समझाईस कर रिश्वत लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर आरोपी के पास राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के लिए रवाना किया गया तथा श्री छोटूलाल चालक कानि0 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ते के सरकारी व प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे–पीछे राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के नजदीक पहुंचा। ब्यूरो जाब्ते में से श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को प्राईवेट वाहन से उतार कर परिवादी के ईशारे व निगरानी हेतु अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के कार्यालय के पास मुकीम रहने के निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान प्राईवेट वाहन में तथा अन्य ब्यूरो स्टाफ

सरकारी वाहन में मुकीम रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। समय 12:30 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर बिना कोई ईशारे किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास में गया तो श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक वहां पर उपस्थित नहीं था। मैंने स्टाफ के अन्य कर्मचारियों से इस बाबत् जानकारी की तो उन्होने बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार जी अभी–अभी कहीं चले गये है। इस पर मैंने वहीं रूककर श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार जी का इंतजार किया परन्तु अभी तक भी नहीं आये इसलिए वहां से रवाना होकर आपके पास आया हूं। इस पर परिवादी को अपनी मोटर साईकिल से पीछे–पीछे आने की कहकर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व सरकारी गवाहान के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा आरोपी के राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास में आने की प्रतीक्षा में मुकीम रहा। समय 03:00 पीएम पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से गोपनीय स्थान से आरोपी के पास राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व जाब्ते के सरकारी व प्राईवेट वाहन से राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के नजदीक पहुंचा वाहन से उतार कर श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को निगरानी हेतु पैदल–पैदल राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के लिए परिवादी की निगरानी हेतु रवाना किया तथा ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में वाहनों में ही मय ट्रेप टीम के मुकीम रहा। समय 04:10 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर बिना कोई ईशारे किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व उसके पीछे–पीछे निगरानी हेतु गये हुए श्री देवदान सिंह कानि0 व श्री पवन कुमार कानि0 आये तथा परिवादी ने बताया कि मैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास में गया तो श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक अभी तक भी कार्यालय में नहीं आये है। वहां के कर्मचारियों से जानकारी करने पर किसी से कोई मालूमात नहीं हो सकी। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स से एक सफेद लिफाफा निकलवाया व ट्रेप राशि 3000रूपये को परिवादी से ही लिफाफे में रखवाकर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 को लिफाफा सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स में रखवाया तथा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को समझाईश की गयी कि आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार की पूर्ण जानकारी करवाकर उसके राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास में उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करें। परिवादी को अब तक की गई कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईश कर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के साथ लाये सरकारी/प्राईवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 05:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के अपने–अपने वाहन सरकारी/प्राईवेट से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी रिश्वत राशि सहित व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर जरिये मोबाईल सूचित करने पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 13.02.2023 को समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर ने श्री देवदान सिंह कानि0 के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार अपने कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास आ गया है। इस पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल सूचित कर कार्यालय में तुरन्त उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। समय 12.10 पीएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर कनिष्ठ अभियंता व श्री सचिन कुमार प्रजापत कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे हालात अवगत करवाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में पुनः समझाईश की गयी। समय 12:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी सरकारी वाहन में रखवाये तथा मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील राठौर व श्री सचिन कुमार तथा ब्यूरो स्टाफ श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28 के मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के सरकारी वाहन से बजानिब करनवास की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 02:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी वाहन से ग्राम करनवास के नजदीक रोड़ के साईड में रूका परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर अपनी मोटरसाईकिल से पहले से ही इंतजार करता हुआ मिला। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी हुई रिश्वत राशि 3000रूपये का लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया। श्री छोटूलाल चालक कानि0 को निर्देश देकर लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 3000रूपये निकलवाकर परिवादी की पेंट की दाहिनी साईड की सामने वाली जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को पुनः समझाईस कर रिश्वत लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर आरोपी के पास राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के लिए रवाना किया गया तथा श्री छोटूलाल चालक कानि0 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ते

के सरकारी वाहन से परिवादी के पीछे–पीछे राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास के नजदीक पहुंचा। वाहन से श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को उतार कर परिवादी के ईशारे व निगरानी करने हेतु अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पैदल–पैदल आरोपी के कार्यालय के पास मुकीम रहने के निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन में मुकीम रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। समय 03:15 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री देवीलाल जाति मेहर उम्र 38 वर्ष निवासी अम्बाला ग्राम पंचायत करनवास जिला झालावाड़ राज0 द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) के बाहर खड़े–खड़े पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर ट्रेप पार्टी की और करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को पीछे आने का ईशारा कर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर के पास पहुंचा तथा पूर्व में परिवादी को रिश्वत लेन–देन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से आरोपी व उसके द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने व रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को रूबरू स्वतंत्र गवाहान काले रंग की जीन्स व आसमानी कलर की जैकिट पहने सांवले से रंग के व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार है जिन्होने अभी–अभी मुझसे मेरी मां श्रीमती कल्याणी बाई के नाम प्रधानमंत्री आवासीय योजना में स्वीकृत मकान बनाने की तीसरी किश्त 60,000रूपये से सम्बंधित फॉर्म कम्पलीट कर पंचायत समिति खानपुर भिजवाने व तीसरी किश्त 60,000रूपये मेरी मां के खाते में डलवाने की एवज में मुझसे पूर्व में हुई वार्ता के अनुसार शेष रही रिश्वत राशि 3,000रूपये प्राप्त कर व गिनकर अपनी पहनी हुई काले रंग की जीन्स की पेन्ट की दाहिनी साईड की सामने वाली जेब में रख लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ते के उस व्यक्ति के पास पहुंचा तथा अपना व हमराहीयान का परिचय उस व्यक्ति को देकर उसे अपने आने का प्रयोजन बताया तथा उसके द्वारा परिवादी से प्राप्त की गयी राशि 3,000रूपये बाबत् पूछा तो उसने बताया हां मैंने प्राप्त किये है जो मेरी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखे हुए है। इस पर मेरे निर्देश पर आरोपी का दाहिना हाथ श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 97 व बायां हाथ श्री पवन कुमार कानि0 28 से कलाई से ऊपर पकड़वाया जाकर उसको राजीव गांधी सेवा केन्द्र पचायत भवन के अन्दर उसके कार्यालय कक्ष में लेकर पहुंचा तथा तसल्ली देकर उस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया गया तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री लेखराज नागर जाति धाकड़ उम्र 39 वर्ष निवासी चापाखुर रोड़ सारोला कलां हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। इस पर एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार को आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक की तलाशी लिवायी गयी तो उसकी पहनी हुई काले रंग की जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से 500–500रूपये के 06 नोट कुल 3000रूपये तथा अन्य जेब से 260रूपये व एक मोबाईल वीवो कम्पनी का बरंग नीला मिला जिनको स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार के पास रखवाये गये। दोनों गवाहों को निर्देश देकर उक्त बरामद शुदा 500–500रूपये के 06 नोटों को फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट से मिलान करवाया गया तो दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु फर्द में अंकित वही नोट होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0BV 568784
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3UR 902054
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8PN 765709
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8FC 860714
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6EB 780709
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6FW 344339

उक्त बरामद नोटों को एक कागज के सफदे लिफाफे में रखकर लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद हुई है। अतः आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के लिये दूसरी पेन्ट मंगवायी गयी तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट को खुलवाकर एक साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवा गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा उक्त घोल में आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल के गिलास में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी की पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की जेब की धुलाई के पश्चात् उस पेन्ट को पंखे की हवा में सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपड़े की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा जब्त शुदा पेन्ट के शील्ड शुदा पैकेट को जब्त कर मार्क–पी अंकित किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से प्राप्त की गयी 3000रूपये रिश्वत राशि बाबत् आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से पूछा गया कि यह रिश्वत राशि आपने क्यों व किस उद्देश्य के लिए ली है। इस पर आरोपी ने रूबरू गवाहान बताया कि मैंने श्री शम्भूदयाल मेहर से उसकी मां श्रीमती कल्याणी बाई के प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की तीसरी किश्त डालने की एवज में कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। मैंने सालभर पहले शम्भूदयाल को तीन हजार रूपये उधार दिये थे, वहीं रूपये आज मैंने शम्भूदयाल से वापस प्राप्त किये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार से परिवादी श्री शम्भूदयाल को उधार दिये गये तीन हजार रूपये से सम्बंधित कोई लिखा पढ़ी/दस्तावेज के बारे में पूछा गया तो आरोपी द्वारा इससे सम्बंधित अपने पास कोई लिखापढ़ी/दस्तावेज नहीं होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से पूछा गया तो परिवादी द्वारा आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार झूठ बोल रहे है। मैंने इनसे कोई राशि उधार नहीं ली है। मेरी मां श्रीमती कल्याणी बाई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए 1,20,000रूपये की राशि स्वीकृत हुई थी जिसकी प्रथम किश्त 15,000रूपये व द्वितीय किश्त 45,000रूपये मेरी मां श्रीमती कल्याणी बाई के खाते में आ चुकी है तथा तीसरी किश्त 60,000रूपये प्राप्त होना शेष है। हमारे मकान का निर्माण पूर्ण होने पर मैंने मकान के फोटो व फॉर्म ग्राम पंचायत करनवास में जमा करवा दिये है। फॉर्म को कम्पलीट कर पंचायत समिति खानपुर भिजवाने व तीसरी किश्त 60,000रूपये मेरी मां के खाते में डलवाने की एवज में श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास द्वारा मुझसे 5,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की गयी थी जिसमें से 2,000रूपये श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार द्वारा मुझसे पहले ही प्राप्त कर लिये थे तथा शेष 3,000रूपये देने हेतु मुझ पर दबाव बना रहे थे। इन्होने मुझसे कहा था कि तुम मुझे 5000रूपये दोगें तभी मैं तुम्हारे मकान की तीसरी किश्त से सम्बंधित फॉर्म को कम्पलीट करके खानपुर पंचायत समिति में जमा करवाउंगा। जब तक तुम मुझे शेष 3,000रूपये मुझे नहीं दोगें तब तक तुम्हारी तीसरी किश्त तुम्हारे खाते में नहीं आयेगी। इनकी मांग अनुसार आज इन्होने मुझसे 3,000रूपये प्राप्त किये है। इनके द्वारा रिश्वत राशि लेने के बाद मैंने आपको ईशारा कर दिया था। परिवादी के पेण्डिंग कार्य के सम्बंध में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार से परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर की मां श्रीमती कल्याणी बाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत व निर्मित मकान से सम्बंधित आवेदन पत्र (पत्रावली) तथा बैंक खाते में जमा करायी गयी किश्तों व मस्ट्रोल राशि तथा शेष किश्त राशि व मस्ट्रोल राशि से सम्बंधित पेण्डिंग कार्य का विवरण व सम्बंधित दस्तावेजात पेश करने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार द्वारा लोहे की अलमारी खोलकर उसमें से एक आवास स्वीकृति रजिस्टर कार्यालय ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ व एक माप पुस्तिका पेश की। आवास स्वीकृत रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो पेज नम्बर 126 पर लाभार्थी श्रीमती कल्याणी बाई पत्नि श्री देवीलाल निवासी अम्बाला से सम्बंधित प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी विवरण अंकित किया हुआ है तथा माप पुस्तिका के पेज नम्बर 37 पर लाभार्थी श्रीमती कल्याणी बाई निवासी अम्बाला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण से सम्बंधित किये गये कार्य की मस्ट्रोल कार्य व मस्ट्रोल कार्य के भुगतान से सम्बंधित विवरण अंकित किया हुआ है। चूंकि उक्त रजिस्ट्रर व माप पुस्तिका को जब्त करने से परिवादी व अन्य लाभार्थी से सम्बंधित कार्य अवरूद्ध होने की सम्भावना होने के कारण उक्त रजिस्टर के पेज नम्बर 126 व माप पुस्तिका के पेज नम्बर 37 की फोटोप्रति प्राप्त कर श्री हरिराम मीणा सरपंच ग्राम पंचायत करनवास को बुलवाकर एवं उनसे प्रमाणित करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा मूल रिकॉर्ड श्री हरिराम मीणा सरपंच ग्राम पंचायत करनवास को सुपुर्द किया गया। आरोपी से लाभार्थीयां श्रीमती कल्याणी बाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत व निर्मित मकान से सम्बंधित आवेदन पत्र (पत्रावली) तथा बैंक खाते में जमा करायी गयी किश्तों व मस्ट्रोल राशि तथा शेष किश्त राशि व मस्ट्रोल राशि से सम्बंधित पेण्डिंग कार्य का विवरण व सम्बंधित दस्तावेजात पेश करने हेतु

कहा गया तो आरोपी द्वारा बताया गया कि इससे सम्बंधित सभी दस्तावेज/रिकॉर्ड पंचायत समिति खानपुर में है, जो पंचायत समिति खानपुर से प्राप्त किया जा सकता है। समय 05:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06:30 पीएम पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री लेखराज नागर जाति धाकड़ उम्र 39 वर्ष निवासी चापाखुर रोड़ सारोला कलां हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री सचिन कुमार व श्री सुनील राठौर के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 07.02.2023 को परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर द्वारा आपसे राजीव गांधी सेवा केन्द्र (ग्राम पंचायत भवन), करनवास में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताऐं प्रथम व द्वितीय के समय तथा दिनांक 13.02.2023 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र (ग्राम पंचायत भवन), करनवास में वक्त रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से जो आपकी वार्ता हुई थी, उक्त तीनों वार्ताओं को परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07:15 पीएम पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री लेखराज नागर जाति धाकड़ उम्र 39 वर्ष निवासी चापाखुर रोड़ सारोला कलां हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी पूर्व में स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार से लिवायी तो आरोपी के पास 260रूपये नकद व एक मोबाईल वीवो कम्पनी का बरंग नीला मिला, जिसके सम्बंध में आरोपी से पूछने पर उसने 260रूपये खर्चे के होना बताया। आरोपी का जवाब संतोषप्रद होने पर उसके कहेनुसार उसके रिश्तेदार श्री अशोक नागर पुत्र श्री गोपाल नागर निवासी दादिया थाना सारोला कलां जिला झालावाड़ जो घटनास्थल पर मौजूद है, को आरोपी के पास मिले 260रूपये नकद व एक मोबाईल वीवो कम्पनी का बरंग नीला (चूंकि उक्त मोबाईल से आरोपी की परिवादी से कोई वार्ता नहीं हुई है) सम्भलाये गये। आरोपी के पास अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिले। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके रिश्तेदार श्री अशोक नागर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 07:30 पीएम पर मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से पुलिस थाना सारोला कलां पर जरिये मोबाईल वार्ता करने पर महिला कानि0 उपस्थित नहीं होना बताया इस पर पुलिस थाना खानपुर के थानाधिकारी से जरिये मोबाईल वार्ता कर एक महिला कानि0 को पुलिस थाना सारोला कलां पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स, लेपलोट प्रिन्टर व जब्त शुदा आर्टिकल्स इत्यादी लेकर सरकारी वाहन से मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 के राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करनवास से पुलिस थाना सारोला कलां के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। समय 08:20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार व मय ट्रेप टीम जाब्ता के जब्त शुदा आर्टिकल्स इत्यादी लेकर सरकारी वाहन से पुलिस थाना सारोला कलां पहुंचा। जहां पर श्रीमती ज्योति महिला कानि0 नं0 1090 उपस्थित मिली जिसे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाईश की गयी। सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार व श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 को पुलिस थाना सारोला कलां पर ही छोड़कर आरोपी के रिहायशी मकान चापाखुर रोड़ तलाई मोहल्ला सारोला कलां की खाना तलाशी लेने हेतु महिला कानि0 श्रीमती ज्योति को साथ लेकर मय दोनों सरकारी गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के समय 08.25 पीएम पर सरकारी वाहन से रवाना होकर समय 08:40 पीएम पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार के रिहायशी मकान चापाखुर रोड़ तलाई मोहल्ला सारोला कलां पहुंचा जहां पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार के मकान की खाना तलाशी ली जाकर खाना तलाशी की विस्तृत फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी। समय09:35 पीएम पर खाना तलाशी की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराहियान जाब्ता व महिला कानि0 को साथ लेकर सरकारी वाहन से आरोपी के रिहायशी मकान सारोला कलां से रवाना होकर पुलिस थाना सारोला कलां पहुंचा जहां पर श्रीमती ज्योति महिला कानि0 1090 को पुलिस थाना सारोला कलां पर रूखसत कर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार व श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 को सरकारी वाहन में बैठाकर समय 09.45 पीएम पर पुलिस थाना सारोला कलां से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 10:10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार

नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर कार्यालय में उपस्थित मिला। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। समय 10:20 पीएम पर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सचिन कुमार व श्री सुनील राठौर की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर ने एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार की होना बताया। वार्ता को सुन–सुन कर हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:30 पीएम पर दिनांक 07.02.2023 को परिवादी शम्भूदयाल मेहर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ताऐं हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम दिनांक 08.02.2023 को समय 09.30 एएम व फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय दिनांक 08.02.2023 समय 10.30 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 13.02.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 13.02.2023 को समय 10.20 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त तीनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीन सीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 07.02.2023 को परिवादी श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री देवीलाल जाति मेहर उम्र 38 वर्ष निवासी अम्बाला ग्राम पंचायत करनवास जिला झालावाड़ राज0 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर बताया कि उसकी मां श्रीमती कल्याणी बाई के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए 1,20,000रूपये की राशि स्वीकृत हुई है जिसकी प्रथम किश्त 15,000रूपये व द्वितीय किश्त 45,000रूपये पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। अब तीसरी किश्त 60,000रूपये आना शेष है। परिवादी का मकान कम्पलिट होने पर उसने मकान के फोटो व फॉर्म जमा करवा दिये है। उसके बाद परिवादी बकाया किश्त के बारे में जानकारी लेने ग्राम पंचायत करनवास गया तो वहां पर मौजूद आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक ने परिवादी से कहा कि तुम 5000रूपये दोगें तभी मैं तुम्हारे मकान की जीरो टेकिंग कर तुम्हारे फॉर्म का कम्पलिट कर खानपुर पंचायत समिति में जमा करवाउंगा। जब तक तुम मुझे 5000रूपये नहीं दोगें तब तक तुम्हारे खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त 60000रूपये जमा नहीं होगी। परिवादी ने बताया कि उक्त कनिष्ठ सहायक हमें बार–बार चक्कर लगवा रहा है। उसने दबाव बनाकर मुझे पूर्व में 2000रूपये प्राप्त कर लिये है। अब शेष 3000रूपये लेने के लिए दबाव बना रहा है। परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी दिन दिनांक 07.02.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन में मामला सही पाया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी से 5000रूपये रिश्वत मांग एवं पूर्व में परिवादी से 2000रूपये प्राप्त करने तथा शेष 3000रूपये और रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इस पर दिनांक 13.02.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास द्वारा परिवादी श्री शम्भूदयाल मेहर से 3000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद हुई तथा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार के दोनों हाथों व पहने हुए पेन्ट का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी, मटमेला व गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित आवास स्वीकृति रजिस्टर व माप पुस्तिका की प्रमाणित शुदा फोटोप्रति प्राप्त की गयी। आरोपी को उसकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया, तो उसने अपने प्रतिउत्तर में स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही

एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय दिनांक 07.02.2023 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 13.02.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आदि से आरोपी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री लेखराज नागर जाति धाकड़ उम्र 39 वर्ष निवासी चापाखुर रोड़ सारोला कलां हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध घटित होना पाया जाने पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय;

(रमेश चन्द आर्य)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेशचन्द्र आर्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत करनवास, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 37/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 289-92 दिनांक 14.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झालावाड़ (प्रशासन एवं जिला स्थापना स्थाई समिति, झालावाड़)।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

14.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।